

संख्या-13/10/2007-आईआर
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 29 अप्रैल, 2008

सेवा में,

1. केन्द्रीय सूचना आयोग,
अगस्त क्रांति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली ।
2. सभी राज्य सूचना आयोग ।


विषय: विशेष सिविल आवेदन संख्या 2007 का 23305 - अहमदाबाद एजुकेशन सोसायटी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य ।

महोदय,

मुझे अहमदाबाद एजुकेशन सोसायटी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य [विशेष सिविल आवेदन संख्या 2007 का 23305] के मामले में गुजरात के उच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को केन्द्रीय सूचना आयोग और सभी राज्य सूचना आयोगों के ध्यान में लाने का निदेश हुआ है:

“धारा 18 के अनुसार राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है और मुख्य सूचना आयुक्त जांच-पड़ताल आरम्भ कर सकता है और अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अनुसार शास्ति लगा सकता है । जांच-पड़ताल करते समय, अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार, दस्तावेजों की खोज और जांच की आवश्यकता होने पर व्यक्तियों को बुलाने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने

और उनको शपथ के साथ मौखिक और लिखित साक्ष्य देने हेतु बाध्य करने; शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने; किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक अभिलेख अथवा इसकी प्रतियां मांगने के सम्बन्ध में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। लेकिन अब तक, जहां तक शुल्क की वापसी का सम्बन्ध है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1907 के अंतर्गत सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना वाला विषय है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, शुल्क वापसी का आदेश जारी करने की कोई भी शक्ति, क्षेत्राधिकार अथवा प्राधिकार प्राप्त नहीं है।”


भवदीय,
(के.जी. वर्मा)

निदेशक

दूरभाष: 23092158

प्रति: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिव।